चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). भारत सरकार, उ.प्र. शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में जनपदीय पुलिस बल एवं यूपीएसएसएफ बल एवं स्वास्थ्य टीम द्वारा मॉकड्रिल के जरिए पुलिस बल को युद्ध/आपात स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु बचाव का प्रशिक्षण दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा मॉकड्रिल युद्धकालीन/अन्य आपात परिस्थिति में पुलिस बल को सुरक्षा देने, स्वयं को सुरक्षित रखने, प्राथमिक चिकित्सा देने, हवाई हमले से अलर्ट करने और बिजली आपूर्ति को तत्काल रोककर ब्लैकआउट करने जैसी रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया एवम् उसके उपरांत उसका सम्यक तरीके से अभ्यास भी कराया गया । आपात स्थिति में सायरन बजने पर क्या करना है और क्या नहीं करना है (Do's and Don'ts) की जानकारी दी गई।

इस मॉकड्रिल का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 1. हवाई हमले के खतरों से कैसे सावधान रहें व बचाव करें। 2.यह आपदा की तैयारी और सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों को प्रोत्साहित और संवेदनशील बनाना है। 3.यह सुनिश्चित करना है कि लोग आपातकालीन स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दें। 4. आपातकालीन उपकरणों के संचालन और उसके रखरखाव की जांच करना । 5. सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा करना । 6.आग लगने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुँचा व ले जाया जाये इसका अभ्यास है।

इस मॉकड्रिल के दौरान पुलिस उपाधीक्षक देवागना हवाई अड्डा श्री अजीत सिंह यादव,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी एवं देवागंना हवाई अड्डा की टीम,स्वास्थ्य विभाग व चित्रकूट पुलिस के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहें।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 15.05.2025 पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2015 धारा 307,148 भादवि0 14 डीए एक्ट के आरोपी अभियुक्त लवलेश कोल पुत्र लल्लू उर्फ बल्लू कोल निवासी औदरपुरवा मौजा निही थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 06 वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 09.10.2015 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सूर्यप्रकाश सिंह द्वारा अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर देना । इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 124/2015 धारा 148,149,307 भादवि0 व 12 डीए एक्ट बनाम लवलेश कोल पुत्र लल्लू उर्फ बल्लू कोलन निवासी औदरपुरवा मौजा निही थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया । उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी आरोपी अभियुक्त लवलेश कोल को दिनांक 26.11.2015 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक 05.07.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार महिला

आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 15.05.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 149/2020 धारा 323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.सोनू हरिजन पुत्र बूँदे 2.लवकुश पुत्र बीस निवासीगण लवेद मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 2000/- 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी मण्डी समिति व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुनील पुत्र लल्लू निवासी प्यारेलाल कालोनी के सामने कसहाई रोड थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को एक सफेद प्लास्टिक की झोले में 01 किलो 40 ग्राम नाजायज सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

01 किलो 40 ग्राम नाजायज सूखा गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी मण्डी समिति

2.आरक्षी शिवपूजन

(7).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में आज दिनांक 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूटश्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गोष्ठी में इस वर्ष में हुई पैरवी के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी एजेन्डा बिन्दु थाना काजलिस्ट रजिस्टर, दिनांकवार काजलिस्ट रजिस्टर, साक्षी उपस्थित रजिस्टर, पर्चा फैसला रजिस्टर, रजिस्टर आरोप तय 313 सीआरपीसी, निर्गत सम्मन दर्ज करने हेतु रजिस्टर, रिमाण्ड रजिस्टर एवं सम्मन/वारण्टी रजिस्टर तैयाकर करने व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा शाखा सम्मन सेल द्वारा कार्यालय के अन्दर जनपद रजिस्टर/बाहर रजिस्टर में अंकित करके सम्बन्धित थानों की डाकबहियों में अंकित करके डाक पैरोकार के माध्यम से थानों में तामिल करने हेतु भेजे एवं सजा दिलाने हेतु पैरोकारों द्वारा बुलाए गये साक्षियों की शत् प्रतिशत साक्ष्य सुनिश्चित कराने हेतु,माननीय न्यायालय में साक्षियों के हस्ताक्षर कराने हेतु रजिस्टर रखने एवं उसमें हस्ताक्षर कराने हेतु कोर्ट मुहर्रिर को निर्देशित किया गया।

इस दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, सम्मन सेल प्रभारी उ0नि0 श्री ननकऊ गौतम, न्यायिक सम्मन सेल प्रभारी श्री एस0के0 त्रिपाठी, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं समस्त थानो को हे0का0 मुन्शी/का0 मुन्शी एवं पैरोकार उपस्थित रहे।